–:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0) ::–

–:: परिपत्र ::–

कंमाक 656/लेखा/2023 अशोकनगर, दिनांक 20.4.23

जैसा कि विदित है कि न्यायिक जिला स्थापना अशोकनगर पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी के 25 पद रिक्त हैं एवं स्वीकृत पदों से अधिक न्यायाधीशगण कार्यरत हैं लेकिन फिर भी यह देखा जा रहा है कि इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण बिना उचित एवं अपरिहार्य कारण के अवकाश आवेदन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे में समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उनकी ओर से प्रस्तुत अवकाश आवेदन केवल उचित एवं अपरिहार्य कारण से ही संबंधित पीठासीन अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा किये जाने पर ही स्वीकृत किया जायेगा।

समस्त पीठासीन अधिकारीगण को भी निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारियों के अवकाश आवेदन पर अनुशंसा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये की जाये कि संबंधित कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत होने पर वैकल्पिक स्टाफ उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

उक्त परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0क्रमाक 657/लेखा/2023 अशोकनगर, दिनांक 20.4.23

प्रतिलिपि :–

01. समस्त न्यायाधीशगण, अशोकनगर/मुंगावली/चन्देरी/ईसागढ़।
02. समस्त प्रभारी अधिकारी, अशोकनगर/मुंगावली/चन्देरी/ईसागढ़।
03. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर।
04. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अशोकनगर।
05. जिला रजिस्ट्रार, कार्या0प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, अशोकनगर/मुंगावली/चन्देरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नाजिर/नायब नाजिर को निर्देशित करें कि उक्त परिपत्र समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के मध्य परिचालित कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)